प्रैस विज्ञप्ति
दिनांक: 27.04.2019

स्वाट टीम (क्राइम ब्रांच) व थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा लूट की घटना मे फरार/वांछित 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी रहीश मय अवैध अस्लाह, लूटी गयी धनराशि सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात/अपराध के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री अतुल कुमार चौबे के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.04.2019 को प्रभारी स्वाट (क्राईम ब्रांच) श्री विवेक शर्मा व प्रभारी निरीक्षक अनूपशहर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र मे देख-रेख शान्ति व्यवस्था व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग एवं पुरुस्कार घोषित अपराधियो की तलाश में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात से लूट की घटना मे फरार/वांछित 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित अपराधी देहली गेट की ओर से फव्वारा चौक बस अड्डा पर आने वाला है। इस सूचना पर प्रभारी स्वाट व प्रभारी निरीक्षक अनूपशहर मय टीम द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए तत्काल नेहरुगंज की ओर से आने वाले रास्ते पर आड मे खडे होकर अपराधी के आने का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर समय करीब प्रातः 05.10 बजे अभियुक्त को मय अवैध अस्लाह कारतूस, लूटी गयी धनराशि सहित के गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- रहीश पुत्र कमरु उर्फ कमरुद्दीन गाजी निवासी लोधी वाली गली नरसलघाट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर। हाल पता-मौ0 गदियाना कस्बा व थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 तमंचा 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस
2- 01 सेमसंग जे2 मोबाईल (सम्बन्धित मु0अ0सं0-105/19 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली देहात)
3- लूटे गये 2000 रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0-05/18 धारा 394/427 भादवि थाना कोतवाली देहात)

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रहीश द्वारा माह जनवरी 2018 मे अपने साथी चांद, शहजाद उर्फ सूखा व उमेद उर्फ तोतला के साथ मिलकर स्याना रोड पर अल्टो कार मे सवार रामा डेरी के मुनीम दुष्यन्त से तमंचो से डरा धमकाकर उससे 10 लाख रुपये व कुछ कागजात लूट लिये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-05/18 धारा 394/427 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग मे अभियुक्त रहीश लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त करीब 02 माह पूर्व अभियुक्त रहीश द्वारा अपने साथी चांद व जावेद के साथ मिलकर ताजपुर अंडर पास के नीचे ग्राम मालागढ निवासी एक सुनार से एक बैंग मे रखे 70,000 रुपये, 01 अंगुठी, 01 सैमसंग मोबाइल जे2 लूट लिया था जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-105/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त रहीश शातिर किस्म का लूटेरा है, जो पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रो मे लूट की कई घटनाए कारित कर चुका है जिसके विरूद्ध विभिन्न थानो पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त रहीश का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-920/2014 धारा 395/397/412/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
2- मु0अ0सं0-927/2014 धारा 392/411/120बी भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
3- मु0अ0सं0-44/2015 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
4- मु0अ0सं0-46/2015 धारा 41/102सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0-413/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
6- मु0अ0सं0-05/2018 धारा 394/427/411 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
7- मु0अ0सं0-06/2018 धारा 394/427 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner

8- मु0अ0सं0-105/2019 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

9- मु0अ0सं0-161/2019 धारा 3/25 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर मु0अ0सं0-161/2019 धारा 3/25 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वाट टीम-

1- श्री विवेक शर्मा प्रभारी स्वाट(क्राईम बांच)

2- है0का0 संजय यादव, है0का0 असलम खॉ, है0का0 जितेन्द्र यादव, का0 अमित कुमार, का0 वसीम, का0 मणिकान्त त्यागी।

अनूपशहर पुलिस टीम-

1- श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर

2- निरीक्षक श्री बृजकिशोर सिंह

3- उ0नि0 नीरज कुमार त्यागी

4- है0का0 पवन कुमार, का0 मनीष कुमार, का0 नवीन कुमार, का0 चालक शीशपाल सिंह

Scanned by CamScanner